न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 102 / 2022

बबन सिंह वगै0 .....वादीगण।

बनाम्

मदन सिंह वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

22.03.2024 उभय पक्षों की हाजिरी है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक– 16.02.2024 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 पर आज अभिलेख आदेश हेतु नियत है जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 द्वारा दाखिल बयान तहरीरी से कुछ नये तथ्य प्रकाश में आये हैं जिसके वजह से अर्जी में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उक्त अर्जी मरम्मत औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद का प्रकृति नहीं बदलता है तथा अनुरोध करते हैं कि आवेदन के आलोक में अर्जी में सुधार किये जाने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 01.03.2024 को प्रतिउत्त्र दाखिल किया गया है जिसमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का वाद संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है,बल्कि खारिज करने योग्य है तथा वाद के निष्पादन में विलम्ब करने के उद्देश्य से वादी द्वारा यह आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी के दिये आवेदन में वादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन में नये तथ्यों के उठाये जाने से संशोधन की आवश्यकता हो गई है जिससे स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादी के लिखित

लगातार
22.03.2024

अभिकथन के तथ्य पहले से ज्ञात था। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रस्तावित संशोधन सं0 1 में उठाये गये तथ्यों की जानकारी वादी सं0 2 को वाद दाखिल करने से पूर्व से थी, क्योंकि ग्राम कचहरी द्वारा निर्गैत तथाकथित बंटवारा के अवार्ड को अपने हस्ताक्षर / अंगुठे के निशान से सम्पुष्ट करती है, ऐसे में वादी का यह कहना कि प्रतिवादी के लिखित कथन से ग्राम कचहरी के निर्णय उनको ज्ञात हुआ, सही नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता का यह भी कथन है कि उक्त संशोधन से पुनः नवीन विचारण (डी नेवो ट्रायल) प्रारम्भ होगा जिससे प्रतिवादी को क्षति होगा। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त के आलोक में वादी का संशोधन आवेदन दिनांक– 16.02.2024 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्तमान में वाद अभी वादी के साक्ष्य हेतु नियत है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने यह वाद यह घोषित करने हेतु दाखिल किया है कि दोनों केवाला दिनांक– 23.10.2021 ललन सिंह बनाम प्रतिवादी फरीक दोयम बाबत एराजी जमीमा नं0 3 अर्जीदावी के जाली फरेबी शून्य गैर कानूनी दस्तावेज है तथा वादी द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता की बहाली कर वादी का अर्जी के जमीमा नं0 2 में दर्ज एराजी का 4 / 9 हिस्से का अलग तख्ता कायम कर वादी के पक्ष में डिक्री पारित करने का मांग किया गया है। साथ ही इम्तनाई की भी मांग वादी द्वारा किया गया है। वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन वाद की प्रकृति को नहीं बदलता है तथा न्याय निर्णय में सहायक है। अतः वादी द्वारा दाखिल संशोधन

लगातार

22.03.2024

आवेदन दिनांक– 16.02.2024 को मो0 एक हजार रूपये के खर्च के साथ स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहे तो अपना अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन के अनुसार वादपत्र में संशोधन करे।

दिनांक– 05.04.2024 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

ह0 /

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।